प्रतिवेदन

परियोजना का नाम :– जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई के अन्तर्गत लेटी रियासी तरकुली मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 15.100 कि0मी0

उपरोक्त परियोजना की स्वीकृति वन एवं ग्राम्य विकास शाखा उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 2491/पी0–3–14 यू0आर0आर0डी0ए0/10(वि0बैंक)/दिनॉक 18–03–2010 के द्वारा 15.100 कि0मी0 लम्बाई हेतु प्राप्त हुई है। 250 से 499 तक आबादी वाले असयोंजित व वसावटो को बारह मासी सम्पर्क मार्गो से सयोजित करने हेतु एवं ग्रामो को मोटर मार्ग से जोडने हेतु निर्देंषित प्राप्त हुये है। इसी कम में कोट नेटवर्क के अनुसार इन ग्रामों की आबादी 250 स 499 है। इन गांवों को जोड़ा जाना आवष्यक है। इस मार्ग के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य कराया गया यह मार्ग वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति का शासनादेष सलग्न है।

इस क्षेत्र में अभी तक कोई भी मोटर मार्ग का निर्माण नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में उपज की दृष्टि से सब्जी, फल, अन्य उत्पादन काफी मात्रा में होता हैं। साधन न होने के कारण इस क्षेत्र में उत्पादों को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है, साथ ही कृषको को उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इस मार्ग के बनने से इस क्षेत्र में बसे क्षेत्रवासियों को यातायात की सुविधा मिल पायेगी, तथा उनके द्वारा पैदा किये गये सब्जी, फल इत्यादि को सही बाजार भाव भी मिल पायेगा।

उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षेत्रीय जनता जनप्रतिनिधियों माननीय विधायक माननीय सांसद द्वारा अनुरोध किया गया है। इस मार्ग के बनने से इस क्षेत्र के ग्राम लाभान्वित होगे।

उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुये एवं मोटर मार्ग का सर्वेक्षण कार्य कराया गया जो आरक्षित वनभूमि एवं वनपंचायत, सिविल/राज्य वन भूमि में पड रहा है। एवं यह भूमि प्रभावित हो रही है। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य समरेखन से मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना सम्भव नही हो पा रहा है।

अतः इस मार्ग में पड़ने वाले वनभूमि प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे है। वनभूमि स्वीकृति उपरान्त इस मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा, ताकि क्षेत्रीय जनता को यातायात की सुविधा प्रदान की जा सके।

ह0/–

(प्रयोक्ता एजेन्सी)

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0
चम्पावत।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (लो०नि०वि०)
चम्पावत